भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2438

09 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: ई-नाम से बाजारों का संयोजन

2438. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

श्री हेमन्त पाटिल:

श्री ओम पवन राजे निंबालकर:

श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर की सभी मंडियों को इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कब तक लाए जाने की संभावना है;

(ख) विशेषकर कोविड-19 महामारी काल के दौरान किसानों को ई-नाम का क्या लाभ मिला है;

(ग) क्या सरकार को देशभर में एनएएम स्थापित करने के वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, मंडियों का विनियमन और आधुनिकीकरण करने तथा कृषि-बाजार अवसंरचना को सशक्त करने के लिए सरकार ने अन्य और क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) कृषि एवं बागवानी जिंसों के ऑनलाइन व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की भौतिक थोक मंडियों/बाजारों को जोड़ने वाला एक वर्चुअल प्लेटफार्म है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य मिल सके।

ई-नाम प्लेटफार्म के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी मंडियां जोड़ने के लिए उन्हें अपने संबंधित राज्य कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) अधिनियमों में आवश्यक सुधार करने होते हैं अर्थात (i) ई-व्यापार के लिए प्रावधान (ii) मंडी शुल्क की वसूली का एकल बिंदु (iii) राज्य के लिए एकीकृत एकल व्यापार लाईसेंस सुधार करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर प्राप्त हुए प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा ई-नाम प्लेटफार्म के साथ मंडियों को जोड़े जाने पर विचार किया जाता है।

अब तक पूर्ववर्ती लक्ष्यों के आधार पर और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 18 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों की 1,000 मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म के साथ जोड़ा गया है। बजट 2021-22 में भारत सरकार ने ई-नाम प्लेटफार्म के साथ और अन्य 1,000 मंडियों को जोड़ने की घोषणा की है।

अब तक ई-नाम प्लेटफार्म पर 1.69 करोड़ से ज्यादा किसानों को पंजीकृत किया गया है और ई-नाम प्लेटफार्म पर व्यापार के लिए 175 जिंसों के संबंध में व्यापार योग्य मापदंडों को तैयार किया गया

है। ई-नाम प्लेटफार्म पर कुल 1820 एफपीओ को शामिल किया गया है। ई-नाम प्लेटफार्म पर अब तक 1.25 लाख करोड़ रूपए के मूल्य की कृषि उपज का व्यापार दर्ज किया गया है।

ई-नाम प्लेटफार्म ऑनलाइन, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी मूल्य का पता लगाने की प्रणाली और ऑनलाइन भुगतान सुविधा के माध्यम से किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए बेहतर विपणन अवसरों को बढ़ावा देता है। यह उपज की गुणवत्ता के अनुरूप मूल्यों का भी संवर्धन करता है। सरकार ने ई-नाम प्लेटफार्म पर ई-भुगतान सुविधा भी उपलब्ध करायी है। ई-नाम में बिक्री करने में ई-भुगतान पारदर्शी, तेजी से और सुरक्षित ढंग से खरीदारों के खाते से किसानों के खाते में प्रत्यक्ष अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। यह सभी बेहतर विपणन क्षमता और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में भी योगदान देते हैं।

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) मानदण्डों का पालन करते हुए और मंडी परिसर में भीड़ को कम करते हुए ई-नाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए सक्षम बनाया गया। ई-नाम किसानों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, इस प्रकार कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मंडियों में भौतिक उपस्थिति के जोखिम को दूर किया गया।

इसके अलावा, सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान एफपीओ व्यापार मॉड्यूल की शुरूआत की है ताकि एफपीओ को मंडियों तक भौतिक रूप से उनकी उपज लाए बिना ऑनलाइन बोली हेतु चित्र/गुणवत्ता मापदंड सहित संग्रहण केन्द्रों/खेत से उनकी उपज को अपलोड करने में सक्षम बनाया जा सके।

''ई-नाम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन'' से संबंधित सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार यह प्लेटफार्म राज्य एवं राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से एकीकृत मंडी का निर्माण करने में मदद करता है। इसके अलावा यह ई-नाम संकल्पना एकीकृत मंडियों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, वास्तविक मांग और आपूर्ति पर आधारित तत्काल मूल्यों का पता लगाने को बढ़ावा देने, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना की विसंगति को दूर करने, नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, उपज की गुणवत्ता के अनुरूप मूल्यों सहित किसानों के लिए राष्ट्रव्यापी मंडी तक पहुंच को तथा बिक्री प्रक्रिया के ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न लाभों को सुनिश्चित करती है।

(घ): किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपनाने के लिए अप्रैल 2017 में ''कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2017'' नामक नया मॉडल जारी किया गया जिसे लोकप्रिय रूप से मॉडल एपीएल अधिनियम, 2017 के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त मॉडल एपीएल अधिनियम, 2017 किसानों के लिए उनकी उपज को प्रतिस्पर्धी एवं लाभकारी मूल्यों पर विपणन हेतु निजी मंडियों के वैकल्पिक विपणन चैनलों, प्रत्यक्ष विपणन आदि को बढ़ावा देता है। सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- रफ्तार, कृषि मंडी अवसंरचना (एएमआई) और राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मंडियों का आधुनिकीकरण तथा कृषि मंडी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण कर रही है। इसके अलावा सरकार फसलोपरांत प्रबंधन हेतु परियोजनाओं के लिए ब्याज छूट और ऋण गारंटी तथा वेयरहाउस, शीतागार, साइलोज, ई-विपणन आदि जैसी सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के मामले में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उपर्युक्त के अलावा 'व्यापार क्षेत्र' में किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त विपणन चैनल उपलब्ध कराने

और निर्बाध अंतरराजिक अंतःराज्यिक व्यापार के उद्देश्य से सरकार ने ''कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020'' तथा ''कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020'' का अधिनियमन किया गया है। ये अधिनियम किसानों को अपनी आय में सुधार करने के लिए उनकी उपज के कुशल विपणन हेतु उन्हें लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में और अधिक प्रभावी, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाएं जाने के लिए एपीएमसी को और अधिक प्रोत्साहित करेंगे।

*****